भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं.आई.बी.बी.आई./सी.आई.आर.पी./85/2025 **26 मई, 2025**

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक,
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सी.आई.आर.पी.) के लिए पुनरीक्षित प्ररूपों का आरंभ

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने 19 मई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी.आई.आर.पी.) की मानिटरिंग के लिए एक सरलीकृत और सुव्यवस्थित प्ररूप ढांचा लागू करने हेतु भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन किया है। यह सुधार दिवाला समाधान प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी बनाए रखते हुए दिवाला व्यावसायिकों (आई.पी.) पर अनुपालन भार को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

2. संशोधित ढांचे के अधीन, विद्यमान नौ प्ररूपों (जिनमें आई.पी-1 और सी.आई.आर.पी. प्ररूप 1 से 8 शामिल हैं) को पांच प्ररूपों (सी.पी.-1 से सी.पी.-5) में समेकित किया जा रहा है । यह समेकन दोहराव को हटाकर, डाटा आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करके और पोर्टल पर पहले से उपलब्ध जानकारी को स्वतः भरने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्राप्त किया गया है ।

3. नया ढांचा एक मानकीकृत मासिक रिपोर्टिंग चक्र पुरःस्थापित करता है, जो मास के दौरान कई घटना-आधारित नियत तारीखयों की वर्तमान प्रणाली का स्थान लेता है। इन परिवर्तनों से दिवाला व्यावसायिकों द्वारा अनुपालन के लिए आवश्यक समय और प्रयास में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि बोर्ड को सभी आवश्यक जानकारी समय पर प्राप्त हो ।

4. नए प्ररूप ढांचे में निम्नलिखित प्ररूप शामिल हैं:

प्ररूप	**अवधि और परिधि**	**किसके द्वारा फाइल किया जाना है**	**समय सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)

सी.पी.-1	**सी.आई.आर.पी. के प्रारंभ से लेनदारों की समिति के गठन तक**: इसके अंतर्गत आई.आर.पी., सी.डी. और आवेदक के ब्यौरे, ए.ए.(न्यायनिर्णायक प्राधिकारी) द्वारा आवेदन का प्रतिग्रहण, सार्वजनिक उद्घोषणा, प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे, सी.डी. के प्रबंधतंत्र का कार्य-ग्रहण, दावों की प्राप्ति और सत्यापन, लेनदारों की समिति का गठन आदि आते हैं ।	आई.आर.पी.	लेनदारों की समिति के गठन के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट फाइल करने के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व
सी.पी.-2	**लेनदारों की समिति के गठन से आर.एफ.आर.पी. जारी किए जाने तक:** इसके अंतर्गत आर.पी. के ब्यौरे, रजिस्टीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के ब्यौरे, आई.एम. में ब्यौरे, रूचि की अभिव्यक्ति, आर.एफ.आर.पी. और उसका उपांतरण, आदि भी हैं ।	आर.पी.	आर.एफ.आर.पी. जारी किए जाने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व
सी.पी.-3क	**न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष फाइल की गई समाधान योजना/समापन/ बन्द करने संबंधी आवेदन के ब्यौरे:** इसके अंतर्गत समाधान आवेदकों के ब्यौरे, प्राप्त की गई समाधान योजनाओं के ब्यौरे, लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजनाओं को अनुमोदित या अस्वीकार करने के ब्यौरे, समाधान योजना के अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे, समापन कार्यवाही आरंभ करने के ब्यौरे (यदि लागू होता है), आदि भी हैं	आर.पी.	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करने के पश्चात् आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व
सी.पी.-3ख	**न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना/समापन/ बन्द करने का अनुमोदन:** इसके अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना या समापन आदेश या बन्द करने के आदेश के ब्यौरे, आदि भी हैं	आर. पी.	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निपटारा करने के सात दिन के भीतर
सी.पी.-4	**न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट किए गए परिवर्जनीय संव्यवहार:** इसके अंतर्गत परिवर्जनीय संव्यवहारों(अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, अतिशय उधार, कपटपूर्ण) के ब्यौरे, अंतर्निहित रकमें, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की तारीख, आवेदन पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश (यदि कोई है), आदि भी हैं	आर.पी.	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करने या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निपटारा किए जाने के पश्चात्

			आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व
सी.पी.-5	**मासिकी:** इसके अंतर्गत सी.आई.आर.पी. की अद्यतन प्रास्थिति, लेनदारों की समिति की आयोजित बैठकों के ब्यौरे, मुकदमेबाज़ी की अद्यतन स्थिति, उपगत व्ययों के ब्यौरे, विलंब के लिए कारण (यदि कोई हैं), आदि भी हैं	आई.आर.पी./ आर.पी.	पिछले मास के लिए प्रत्येक मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।

5. नए प्ररूपों का सांकेतिक टेम्पलेट संदर्भ हेतु उपाबंध । में दिया गया है ।

6. नए प्ररूप 1 जून, 2025 से आई.बी.बी.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और विद्यमान प्ररूप उक्त तारीख से बंद कर दिए जाएंगे ।

7. आई.पी. को नए प्ररूपों से परिचित कराने और उत्पन्न होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रारंभिक तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2025) के दौरान प्ररूपों को फाइल करने में विलंब होने पर कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी ।

8. बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर विकसित प्ररूपों का सेट इसकी वेबसाइट https://www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध होगा । सी.आई.आर.पी. असाइनमेंट का प्रबंधन करने वाले आई.पी. को आई.बी.बी.आई. द्वारा प्रदान किए गए एक विशिष्ट यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके प्लेटफार्म तक पहुंचना होगा और डी.एस.सी. या ई-हस्ताक्षर लगाने के बाद सुसंगत जानकारी और अभिलेखों के साथ प्ररूप अपलोड/प्रस्तुत करना होगा ।

9. यह निर्देश दिया जाता है कि आई.पी. संशोधित प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से निम्न प्रकार फाइल करेगा:

क. 1 जून, 2025 को या उसके बाद स्वीकृत सी.आई.आर.पी. के लिए:

• संशोधित प्ररूप क्रम सं. 4 के अंतर्गत सारणी के स्तंभ (4) में विहित समय सीमा के भीतर इस परिपत्र के अनुसार लागू होंगे ।

ख. 1 जून, 2025 को चालू सी.आई.आर.पी. के लिए:

i. विद्यमान सी.आई.आर.पी.-1 और सी.आई.आर.पी.-2 प्ररूपों को अब सी.पी. 1 में समाहित कर दिया गया है; और विद्यमान सी.आई.आर.पी.-3 और सी.आई.आर.पी.-4 प्ररूपों को अब सी.पी. 2 में समाहित किया गया है । नए सी.पी.-1 और सी.पी.-2 प्ररूपों की आवश्यकता केवल तभी होगी जब संबंधित पूर्व सी.आई.आर.पी. प्ररूप प्रस्तुत न किए गए हों । तदनुसार, उन सभी मामलों में सी.पी. 1 और सी.पी. 2 प्ररूप प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जहां सी.आई.आर.पी.-1, सी.आई.आर.पी.-2, सी.आई.आर.पी.-3 और सी.आई.आर.पी.-4 प्ररूप पहले फाइल किए गए थे।

ii. सभी चालू सी.आई.आर.पी. मामलों में CP-3A, CP-3B और CP-4 प्ररूप प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

iii. यदि उपरोक्त मद सं. (i) और (ii) में उल्लिखित संशोधित ढांचे के अनुसार कोई प्ररूप 1 जून, 2025 को या उससे पहले प्रस्तुत करने की नियत तारीख है, तो ऐसे प्ररूप 30 सितंबर, 2025 तक प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य है ।

iv. पहला मासिक CP-5 प्ररूप 10 जुलाई, 2025 तक (जून, 2025 की अवधि के लिए) प्रस्तुत करें और उसके बाद CIRP के समापन तक मासिक आधार पर प्रस्तुत करते रहें ।

ग. 31 मई, 2025 को या उससे पहले बंद हुई सी.आई.आर.पी. के लिए:

• यदि इस परिपत्र की तारीख तक कोई पूर्व प्ररूप लंबित रहता हैं, तो आई.पी. संशोधित ढांचे के अधीन संबंधित प्ररूप 30 सितंबर, 2025 को या उससे पहले प्रस्तुत करेंगे ।

9. सभी पश्चात्वर्ती फाइलिंग केवल नए प्ररूपों के माध्यम से ही ऐसे आई.पी. द्वारा की जाएगी जो प्ररूप फाइल करने की नियत तारीख से पहले वाले मास की अंतिम तारीख तक अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के पद पर कार्यरत हो ।

10. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) देखें । इसके अलावा, फाइल करने में किसी भी तकनीकी समस्या या कठिनाई की रिपोर्ट support.form@ibbi.gov.in पर दी जा सकती है ।

11. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196(1)(कक) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय,

हस्ताक्षर/-

राजेश तिवारी,

महाप्रबंधक

उपाबंध I - प्ररूपों का सांकेतिक टेम्पलेट

प्ररूप - सी.पी. 1

(यह प्ररूप आई.पी. द्वारा बोर्ड को उस मास के आगामी मास की 10 तारीख तक ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है, जिस मास में विनियम 17(1) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास सी.ओ.सी. के गठन को प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट फाइल की जाती है।)

नियम 17(1) के अधीन रिपोर्ट फाइल करने की तारीख	प्ररूप की नियत तारीख (अगले मास की 10 तारीख)	प्ररूप प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों की संख्या)	विलंब के कारण
	(स्वचालित रूप से भरा जाएगा)	(स्वचालित रूप से भरा जाएगा)	

क. कारपोरेट ऋणी

1. कारपोरेट ऋणी का नाम: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

2. कारपोरेट ऋणी का सीआईएन/एलएलपीआईएन: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

3. कारपोरेट ऋणी का पैन नंबर: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

4. उद्योग/क्षेत्र: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

5. निगमन की तारीख: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

6. कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता: [स्वचालित रूप से भरा गया]

7. कारपोरेट ऋणी के प्रधान कार्यालय का पता, यदि कोई हो:

8. कारपोरेट ऋणी के कारपोरेट कार्यालय का पता, यदि कोई हो:

9. कारपोरेट ऋणी की रजिस्ट्रीकृत ईमेल आईडी: [स्वचालित रूप से भरा गया]

10. क्या चालू समुत्थान है? (हाँ/नहीं)

11. क्या कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन कोई कार्यवाही लंबित थी? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो बीआईएफआर के अधीन प्रवेश की तारीख:

12. क्या कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन समापन की कोई कार्यवाही शुरू की गई थी? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ,

क. वह धारा जिसके अधीन कार्यवाही शुरू की गई थी:

ख. न्यायपीठ/न्यायालय:

ग. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एए) को हस्तांतरण की तारीख:

ख. दिवाला व्यावसायिक

1. प्रक्रिया ईमेल आईडी:

ग एए द्वारा आवेदन का प्रतिग्रहण

1. किस धारा के अंतर्गत दायर आवेदन: (ड्रॉपडाउन - 7/9/10)

2. सी.पी. (कंपनी याचिका) सं.:

3. एए के समक्ष फाइल करने की तारीख:

4. बेंच: [स्वचालित रूप से भरा गया]

5. आवेदक/याचिकाकर्ता का नाम: (धारा 7 के अधीन आवेदन के मामले में, एससीबी की सूची ड्रॉपडाउन में प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें "अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें" विकल्प शामिल हो)

6. आवेदक/याचिकाकर्ता का पता:

7. धारा 9 के दशा में, क्या परिचालन लेनदार (आवेदक) द्वारा आईआरपी का नाम प्रस्तावित किया गया था? (हाँ/नहीं)

8. स्वीकृति की तारीख: [स्वचालित रूप से भरा गया]

9. आईआरपी को नियुक्त करने संबंधी एए आदेश की तारीख: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

10. उस अंतरनिहित व्यतिक्रम की रकम जिसके लिए याचिका स्वीकार की गई है (रुपये):

11. वह तारीख जिसको व्यतिक्रम किया गया था: (तारीख)

घ. सार्वजनिक घोषणा

1. जारी करने की तारीख: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

2. सार्वजनिक घोषणा के प्रकाशन का विवरण (एकाधिक पंक्तियां अनुज्ञात करें)

समाचारपत्र का नाम	प्रकाशन की तारीख	संस्करण

3. दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

4. धारा 21(6क)(ख) के अधीन लेनदारों के वर्गों का विवरण, यदि कोई हो, और प्रत्येक वर्ग के लिए पहचाने गए प्राधिकृत प्रतिनिधि (एआर) के नाम:

क. लेनदारों के वर्ग की संख्या:

ख. प्रत्येक वर्ग के लिए एआर के रूप में अनुशंसित/नियुक्त आई.पी.:

क्रम सं.	लेनदारों का वर्ग (ड्रॉपडाउन - भ-संपदा आबंटिती/डिबेंचर धारक/ अन्य)	एआर के रूप में चयनित/अनुशंसित आई.पी.	
		आई.पी. रजिस्ट्रीकरण संख्या	आई.पी. का नाम
1			आई.पी. का नाम
2.			आई.पी. का नाम

ङ. प्रक्रिया की स्थिति

1. क्या कारपोरेट ऋणी आईसीडी पर सूचीबद्ध है? (हाँ/नहीं): [स्वचालित रूप से भरा हुआ; संपादन योग्य]

2. क्या आईआरपी ने सीडी से संबंधित अभिलेखों और आस्तियों को अभिरक्षा में लिया है? (हाँ/नहीं/आंशिक) यदि नहीं, तो क्या एए को संहिता की धारा 19(2) के अधीन आवेदन किया गया है? (हाँ/नहीं)

यदि नहीं, तो कारण बताएँ:

च. सीओसी गठन की सारणी जोड़ें

क्रम सं.	नाम	मतदान	स्वीकृत दावे की रकम(रुपयों में)	प्रवर्ग(ड्रापडाउन)
कुल				

टिप्पणियाँ, यदि कोई हों

घोषणा

मुझे, [आई.पी. का नाम], जिसका आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं. [रजिस्ट्रीकरण सं.] है, एनसीएलटी के तारीख [तारीख अंतःस्थापित करें] के आदेश द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 16/22 के अधीन अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें से कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

***आई.पी. द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/ई-हस्ताक्षरित किया जाना है**

*आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप सी.पी.2

(आई.पी. द्वारा उस मास के, जिसमें समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी किया जाता है, आगामी मास की 10 तारीख तक बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है)

आर.एफ.आर.पी.जारी करने की तारीख	**प्ररूप की नियत तारीख(अगले मास की 10 तारीख)**	**प्ररूप प्रस्तुत करने में विलंब(दिनों की संख्या)**	**विलंब के कारण**
	(स्वचालित रूप से भरा जाएगा)	(स्वचालित रूप से भरा जाएगा)	

क. कारपोरेट ऋणी

1. कारपोरेट ऋणी का नाम: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

2. कारपोरेट ऋणी का सी.आई.एन/एल.एल.पी.आई.एन.: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

ख. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति

1. क्या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों की नियुक्ति की गई है? (हाँ/नहीं)

2. यदि नहीं, तो उसके कारण:

3. यदि हाँ: तो नीचे दी गई सारणी प्रदर्शित की जाए

क्रम सं.	मूल्यांकक का नाम	मूल्यांकक का रजिस्ट्रीकरण सं.	नियुक्ति की तारीख	आस्तियों का वर्ग (भूमि और भवन/ संयंत्र और मशीनरी/

				प्रतिभूतियां और वित्तीय आस्तियां अन्य)

ग सूचना ज्ञापन (आई.एम.)

1. सी.ओ.सी. को आई.एम. प्रस्तुत करने की तारीख:

2. क्या सी.डी एक एम.एस.एम.ई. है? (हाँ/नहीं)

घ. ई.ओ.आई. तथा आर.एफ.आर.पी.का विवरण

1. पात्र पी.आर.ए. की अनंतिम सूची जारी करने की तारीख: [स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा]

2. पी.आर.ए. की अंतिम सूची जारी करने की तारीख: [स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा]

3. प्राप्त ई.ओ.आई. की संख्या:

4. ऐसे पात्र पी.आर.ए. की संख्या जिन्हें आर.एफ.आर.पी. जारी किया गया है:

5. समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:

टिप्पणियां, यदि कोई हों

घोषणा

मैं, [आर.पी. का नाम], जिसका आई.पी.रजिस्ट्रीकरण क्रमांक [रजिस्ट्रीकरण क्रमांक] है, को एन.सी.एल.टी. के आदेश तारीख [तारीख का उल्लेख करें] के अधीन आवेदन क्रमांक [आवेदन क्रमांक का उल्लेख करें] तारीख [आर.पी. की नियुक्ति की तारीख का उल्लेख करें] में, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 22 के अंतर्गत एक समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया था/विनियम 17(3) के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य कर रहा/रही हूँ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें से कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

***आई.पी. द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/ई-हस्ताक्षरित किया जाना है**

*आई.पी. रजिस्ट्रीकरण संख्या:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप - सी.पी.3क

(यह प्ररूप आईपी द्वारा बोर्ड को उस मास के अगले मास की 10 तारीख तक ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा, जिस मास में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास समाधान योजना/समापन/प्रक्रिया बन्द होने की मंजूरी के लिए आवेदन फाइल किया गया हो।)

ए.ए. को समाधान योजना /समापन/प्रक्रिया बन्द होने की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख	**प्ररूप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (अगले मास की 10 तारीख)**	**प्ररूप प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों की संख्या),**	**विलंब के कारण**
तारीख: ई-फाइलिंग संख्या: एनसीएलटी बेंच: न्यायालय संख्या	(स्वचालित रूप से भरी जाएगी)	(स्वचालित रूप से भरी जाएगी)	

अनुभाग 1

क. कारपोरेट ऋणी

1. कारपोरेट ऋणी का नाम: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

2. कारपोरेट ऋणी का सीआईएन/एलएलपीआईएन: [स्वचालित रूप से भरा जाएगा]

ख. ड्रॉपडाउन:

➢ समाधान योजना की मंजूरी के लिए आवेदन फाइल किया गया

➢ समापन शुरू करने के लिए आवेदन फाइल किया गया

➢ सीआईआरपी बंद करने के लिए आवेदन फाइल किया गया (12क/विघटन/अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(क्रमशः आगे आने वाले अनुभाग 2/3/4 फ़ील्ड खोलें)

अनुभाग 2

(समाधान योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन फाइल किया गया)

1. सफल समाधान आवेदक का नाम

2. समाधान योजना का अनुमोदन करने वाली सी.ओ.सी. की बैठक की तारीख:

3. सी.ओ.सी. के अनुमोदन की तारीख (अर्थात, मतदान की समाप्ति):

4. सी.ओ.सी. द्वारा समाधान योजना को कितने मतदान अंश प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया गया:

5. समाधान योजना से विसम्मत होने वाले मतदान अंश का प्रतिशत:

अनुभाग 3

(समापन प्रक्रिया शुरू करने हेतु आवेदन फाइल किए जाने की स्थिति में)

1. सीडी के समापन के लिए आवेदन फाइल करने का कारण (कोई मूल्यवान परिसंपत्ति नहीं/समाधान योजना प्राप्त न होना/ सी.ओ.सी. द्वारा समाधान योजना की अस्वीकृति/अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें): (ड्रॉपडाउन विकल्पों के लिए विनियम 40घ देखें)

2. समापन का अनुमोदन करने वाली सी.ओ.सी. की बैठक की तारीख:

3. समिति के अनुमोदन की तारीख (अर्थात मतदान की समाप्ति):

4. सी.ओ.सी. द्वारा समापन को कितने मतदान अंश प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया गया:

अनुभाग 4

(सी.आई.आर.पी. बंद करने के लिए आवेदन फाइल करने की स्थिति में (सी.आई.आर.पी. का समय से पहले बंद करना - धारा 12क/शीघ्र विघटन, आदि))

1. सी.आई.आर.पी. बंद करने के आवेदन का कारण - ड्रॉपडाउन में जोड़ें (धारा 12A के अधीन प्रत्याहरण/अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)

2. ए.ए. को आवेदन की तारीख:

3. क्या आवेदन सी.ओ.सी. के गठन से पहले फाइल किया गया है? (हाँ/ना)

   यदि नहीं:

   i. प्रत्याहरण का अनुमोदन वाली सी.ओ.सी. की बैठक की तारीख:

   ii. सी.ओ.सी. के अनुमोदन की तारीख (अर्थात मतदान की पूरा होना):

अनुभाग 5

(तीनों स्थितियों - क/ख/ग में भरी जाने वाली सामान्य जानकारी)

1. अंतरिम वित्त का विवरण। क्या अंतरिम वित्त का लाभ उठाया गया है? - (हाँ/ना)

2. यदि हाँ, तो नीचे दी गई सारणी प्रदर्शित करें:

क्रम सं.	प्रदाता (ड्रापडाउन - पी.एस.बी., प्राइवेट एस.सी.बी., एन.बी.एफ.सी., अन्य)	मंजूरी की तारीख	मंजूर की गई रकम	उपभोग की गए रकम	वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत में)	उपयोग का प्रयोजन

घोषणा

मैं, [आर.पी. का नाम], आईपी रजिस्ट्रीकरण संख्या [रजिस्ट्रीकरण संख्या], एनसीएलटी के आदेश तारीख [तारीख अंतःस्थापित करें] और आवेदन संख्या [आवेदन संख्या अंतःस्थापित करें] तारीख [आरपी की नियुक्ति की तारीख] को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 22 के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया था/विनियम 17(3) के अंतर्गत समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य कर रहा/रही हूँ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें से कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

***आईपी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/ई-हस्ताक्षरित किया जाना है**

*आईपी रजिस्ट्रीकरण संख्या:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप सी.पी. 3ख

(आईपी द्वारा बोर्ड को समाधान योजना/समापन/प्रक्रिया बन्द होने के अनुमोदन के 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है ।)

अनुभाग 1

1. प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए न्यायिक आदेश का प्रकार (निम्नलिखित में से एक चुनें):

- समाधान योजना
- समापन
- प्रक्रिया बन्द होना (धारा 12क/प्रत्यक्ष विघटन)
- एनसीएलटी/एनसीएलएटी/अदालतों के आदेश द्वारा अपास्त की गई प्रक्रिया
- अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें

2. अनुमोदन की तारीख:

3. स्वीकृत दावों का विवरण
(रुपये में)

प्रकार	**मूल रकम**	**अन्य रकम (ब्याज, शास्ति सहित)**	**कुल स्वीकृत दावे**
सुरक्षित वित्तीय लेनदार (एक वर्ग में वित्तीय लेनदारों से भिन्न)			
एक वर्ग में वित्तीय लेनदार			
असुरक्षित वित्तीय लेनदार			
परिचालन लेनदार			
सरकार			
कर्मकार			
कर्मचारी			
अन्य ऋण और देय			
शेयरधारक			
कुल			

अनुभाग 2

समाधान योजना (यदि ऊपर 'क' चुना गया है, तो भरें)

1. समाधान योजना के अधीन हितधारकों, दावों और वसूली का विवरण ।

(रकम रूपयों में)

क्रम सं.	हितधारक का प्रवर्ग	लेनदार/ पक्षकारों की संख्या	दावाकृत रकम	स्वीकृत रकम (स्वचालित रूप से भरी जाएगी)	हितधारकों द्वारा वसूलनीय	
					रकम	प्रतिशत (स्वचालित रूप से गणना की जाएगी)
1	आई.आर.पी.सी.					
2	प्रतिभूत वित्तीय लेनदार(किसी एक प्रवर्ग में एफ.सी. से भिन्न)					
3	किसी प्रवर्ग में वित्तीय लेनदार					
4	अप्रतिभूत/वित्तीय लेनदार					
5	परिचालन लेनदार					
6	सरकार					
7	कर्मकार					
8	कर्मचारी					
9	अन्य ऋण और देय					
10	शेयरधारक					
कुल						

* यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हैं (जैसे भू-संपदा आबंटिती, डिबेंचर धारक आदि), तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्तियाँ जोड़ें।

2. समाधान योजना के अधीन निवेश के लिए प्रस्तावित रकम. यदि कोई हो: कैपैक्स, कामकाजी पूंजी, आदि।

3. क्या किसी कार्यान्वयन एजेंसी/निगरानी समिति की सिफारिश की गई है? (हाँ/ना)

• यदि हाँ, तो क्या आर.पी. कार्यान्वयन एजेंसी/निगरानी समिति का भाग है? (हाँ/ना)

• यदि ना, तो योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एस.आर.ए के नोडल व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण दें।

4. क्या आर.पी. ने अधिमानी/न्यून-मूल्यांकित/अतिशय उधार/कपटपूर्ण संव्यवहारों के संबंध में कोई अवधारण किया है? (हाँ/नहीं):

यदि हाँ, तो परिवर्जनीय संव्यवहारों का विवरण: योजना के अनुसार, परिवर्जनीय आवेदन के आगमों का प्रस्तावित फायदाग्राही:

क्रम सं. (अधिक पंक्तियां जोड़ना अनुज्ञात करें	योजना के अनुसार प्रस्तावित फायदाग्राही (ड्रापडाउन - लेनदार/सी.डी. या एस.आर.ए./अन्य, यदि कोई है)	आवेदन के अनुसार अंतर्निहित रकम
कुल		

5. समाधान योजना का अन्य विवरण

क. इक्विटी का निवेश (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो इक्विटी निवेश की रकम:

ख. बैंक गारंटी (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो बैंक गारंटी की रकम

ग. समाधान के बाद इकाई का नाम

अनुभाग 3

समापन का विवरण (यदि ऊपर ख चुना गया हो तो भरें)

1. एनसीएलटी द्वारा नियुक्त परिसमापक का नाम..............................

2. समापन प्रारंभ तारीख..............................

अनुभाग 4

बन्द होना/प्रत्याहरण (यदि ऊपर ग चुना गया हो तो भरें)

1. कृपया कारण विनिर्दिष्ट करें_(ड्रॉपडाउन - आवेदक के साथ पूर्ण निपटान/ अन्य लेनदारों के साथ पूर्ण निपटान) लेनदारों/ भविष्य में निपटान के लिए करार/ लेनदारों के साथ अन्य समझौते/अन्य)

2. दावों की रकम:

3. निपटान रकम, यदि उपलब्ध हो:

अनुभाग 5

(तीनों परिदृश्यों - क/ख/ग में भरी जाने वाली सामान्य जानकारी)

1. मूल्यांकन का विवरण (रुपये में राशि)

(रकम रूपयों में)

औसत समापन मूल्य	
औसत उचित मूल्य	

2. कुल सी.आई.आर.पी. लागत (क=ख+ग):

क. प्रक्रिया से संबंधित लागते (ख):

ख. चालू समुत्थान से संबंधित लागत (ग):

संलग्नक

1. सूचना ज्ञापन
2. आर.एफ.आर.पी.
3. समाधान योजना
4. एन.सी.एल.टी. को प्रस्तुत प्ररूप ज
5. समाधान योजना/समापन/ बंद करने का अनुमोदन करने वाला न्यायनिर्णायक का आदेश
6. सी.ओ.सी. की सभी बैठकों का कार्यवृत्त

घोषणा

मैं, [आर.पी. का नाम], आई.पी रजिस्ट्रीकरण संख्या [रजिस्ट्रीकरण संख्या], एनसीएलटी के आदेश तारीख [तारीख अंतःस्थापित करें] और आवेदन संख्या [आवेदन संख्या अंतःस्थापित करें] तारीख [आर.पी. की नियुक्ति की तारीख] को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 22 के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया था/विनियम 17(3) के अंतर्गत समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य कर रहा/रही हूँ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें से कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

***आईपी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/ई-हस्ताक्षरित किया जाना है**

*आईपी रजिस्ट्रीकरण संख्या:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप-सी.पी.4

(बोर्ड को उस मास के, जिसमें ए.ए. के समक्ष परिवर्जनीय संव्यवहारों के लिए आवेदन फाइल किया जाता है/ए.ए. या अन्य न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है, आगामी मास की 10 तारीख तक आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है)

पी.यू.एफ.ई. संव्यवहारों का आवेदन फाइल करने की तारीख	प्ररूप फाइल करने की नियत तारीख (आगामी मास की 10 तारीख)	प्ररूप प्रस्तुत करने में विलंब (दिनों की संख्या)	विलंब के लिए कारण
	(स्वचालित रूप से भरी जाएगी)	(स्वचालित रूप से भरी जाएगी)	

(प्ररूप को एक से अधिक बार प्रस्तुत करना अनुज्ञात किया जाए क्योंकि आवेदन एक से अधिक तारीखों के फाइल किए जा सकेंगे: इसके अलावा, जैसे ही ए.ए. आवेदन के संबंध में न्यायनिर्णयन करता है, सारणी के स्तंभ 8, 9 और 10 में आई. पी. द्वारा उपांतरण अनुज्ञात किया जाए)।

क. दिवाला व्यावसायिक के ब्यौरे

1. समाधान व्यावसायिक का नामः(स्वचालित रूप से भरा जाए)
2. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक(स्वचालित रूप से भरा जाए)

ख. कारपोरेट ऋणी के ब्यौरे

1. कारपोरेट ऋणी का नामः(स्वचालित रूप से भरी जाएगी)
2. कारपोरेट ऋणी का सी.आई.एन. एल.एल.पी.आई.एनः (स्वचालित रूप से भरी जाएगी)
3. एन.सी.एल.टी. बैंचः (स्वचालित रूप से भरी जाएगी)

ग. सी.आई.आर.पी. के दौरान फाइल किए गए परिवर्जनीय आवेदनों के ब्यौरे

क्रम सं. (1)	फाइल करने की तारीख	फाइलिंग सं. (3)	प्रकृति (4)	सी.डी. के साथ संबंध (संबंधित पक्षकार/संबंधित	ऐसे संव्यवहार की तारीख	अंतर्निहित रकम (7)	आदेश की तारीख (8)	ए.ए. का विनिश्चय (प्रार्थना स्वीकार/अस्वीकार/	यदि स्वीकार की गई तो कितनी रकम की वापसी के	टिप्पणियां (11)

	(2)			**पक्षकार से भिन्न) (5)**	(6)			**अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें (9)**	**लिए आदेश किया गया (10)**	
प्रत्येक आवेदन के लिए पंक्तिया जोड़ना अनुज्ञात करें			अधिमानी (धारा 43,44)							
			न्यून-मूल्यांकित(धारा 45,46,47,48,49)							
			जबरन वसूली(धारा 50,51)							
			कपटपूर्ण (धारा 66)							
			अधिमानी/न्यून-मूल्यांकित/ कपटपूर्ण/ जबरन वसूली का संयोजन, यदि कोई है							

संलग्नक (उपरोक्त प्रत्येक प्रविष्टि के लिए)

1. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए आवदन की सभी उपाबंधों सहित प्रति ।
2. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश

घोषणा

मैं, [आर.पी. का नाम], आई.पी रजिस्ट्रीकरण संख्या [रजिस्ट्रीकरण संख्या], एनसीएलटी के आदेश तारीख [तारीख अंतःस्थापित करें] और आवेदन संख्या [आवेदन संख्या अंतःस्थापित करें] तारीख [आर.पी. की नियुक्ति की तारीख] को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 22 के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया था/विनियम 17(3) के अंतर्गत समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य कर रहा/रही हूँ ।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसमें से कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है ।

***आईपी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/ई-हस्ताक्षरित किया जाना है**

*आईपी रजिस्ट्रीकरण संख्या:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप सी.पी.5

(आई.पी. द्वारा पूर्व मास के अंतिम दिन को सी.आई.आर.पी. की स्थिति लेते हुए बोर्ड को प्रत्येक मास की 10 तारीख तक आनलाइन प्रस्तुत किया जाना है ।

टिप्पणः यदि कोई आई.पी. किसी मास के दौरान पद का परित्याग करता है तो वह उसके कार्यकाल के दौरान अद्यतन करने के लिए अगले मास की 10 तारीख तक प्ररूप भरेगा)

अनुभाग 1 - साधारण जानकारी

आई.पी. का नाम	(स्वचालित से भरा जाएगा)
सी.डी. का नाम	(स्वचालित से भरा जाएगा)
कारपोरेट ऋणी का सी.आई.एन. एल.एल.पी.आई.एन.	(स्वचालित से भरा जाएगा)
आई.सी.डी.	(स्वचालित से भरा जाएगा)
वर्ष के लिए फाइलिंग	

मास के लिए फाइलिंग
क्या ए.ए. से किसी अवधि की छूट की गई थी (हां/नहीं)
यदि हां. ए.ए./एन.सी.एल.ए.टी./अन्य न्यायालयों द्वारा सी.आई.आर.पी. अवधि में अपवर्जित किए गए अवधि(दिनों में)(संचयी) **क्रम सं. आरंभ तारीख अंत तारीख दिनों की संख्या अपलोड किया गया आदेश अपवर्जन के लिए कारण** **1**
क्या ए.ए. से कोई विस्तारण लिया गया था (हां/नहीं), यदि हां, ए.ए. द्वारा अनुदत्त विस्तारण की संचयी अवधि (दिनों में) **क्रम सं. आरंभ तारीख अंत तारीख दिनों की संख्या अपलोड किया गया आदेश अपवर्जन के लिए कारण** **1** **सी.आई.आर.पी. अवधि के पूरा होने की प्रत्याशित तारीख (स्वचालित रूप से गणना की जाएगी)**

प्रक्रिया की स्थितिः चालू स्थगित अन्य (सीमित स्थगन)
यदि स्थगित - अनुभाग क; यदि चालू - अनुभाग ख; सीमित स्थगन की दशा में - अनुभाग क और ख दोनों के समर्थित करें
अनुभाग क
किसी न्यायालय/अधिकरण द्वारा सी.आई.आर.पी. पर स्थगन [ड्रापडाउनः हां/नहीं]

क्रम सं.	**स्थगन की प्रकृति**	**न्यायालय अधिकरण का नाम**	**एन.सी.एल.टी. बैंच**	**आदेश तारीख**	**आदेश की प्रति**	**टिप्पणियां**	**आवेदक का प्रवर्ग जिसके आवेदन पर स्थगन प्रदान किया गया है**	**अपील के ब्यौरे, यदि कोई हैं**	**एकाधिक पंक्तियां जोड़ना अनुज्ञात करें**

	ड्रॉपडाउन(प्रतिग्रहण पर स्थगन/प्रक्रिया में स्थगन/सी.ओ.सी. के गठन पर स्थगन/अनुमोदित समाधान योजना पर स्थगन/अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)	[ड्रॉपडाउन]	[ड्रॉपडाउन]	[तारीख]	[फाइल संलग्न करें]	[पाठ]	ड्रॉपडाउन (संप्रवर्तक/ वित्तीय लेनदार/ सरकारी विभाग/ कर्मचारी/ अन्य)		पंक्तियां जोड़े

भाग खः

यदि स्थगन पिछले मास रिपोर्ट किया गया था

- क्या स्थगन मास के दौरान बातिल हो गया यदि हां, तो आदेश की प्रति संलग्न करें
- आदेश की तारीख
- आदेश का सार (पाठ - 200 शब्दों तक)

आदेश की प्रति संलग्न करें

यदि चालू समुत्थान - अनुभाग ख

1. चालू प्रक्रिया की स्थिति - ड्रापडाउन (विनियम 40क के अधीन आदर्श समय-सारणी के अनुसार/विलंबित चालू
2. यदि विलंबित तो उसके लिए कारण बताएं - ड्रापडाउन (प्रतिग्रहण आदेश देर से प्राप्त/किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा स्थगन/विचाराधीन पक्षकारों के बीच बंदोबस्त/ आर.पी. का बदला जाना/दावे प्राप्त नहीं हुआ/ सी.ओ.सी. का गठन नहीं किया गया/आर.पी. पूर्व-प्रबंधतंत्र से आस्तियों को अभिरक्षा में लेने में समर्थ नहीं हुआ/आर.पी. पूर्व-प्रबंधतंत्र से जानकारी, अभिलेख, सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहा है/आस्तियां, अभिलेख सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अभिगृहीत,

निरुद्ध की गईं/ई.ओ.आई. प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई/सी.ओ.सी. निधियों का उपबंध नहीं कर रहा है/आर.एफ.आर.पी. में विलंब/पी.आर.ए. द्वारा नियत समय से परे समय की मांग करना/सी.ओ.सी. समाधान योजना पर विचार कर रहा है जिसके अंतर्गत पी.आर.ए. से बातचीत भी है/मतदान अभी पूरा किया जाना है/सी.ओ.सी. ने अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय लिया/अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें) - अनेक कारणों का चयन करना अनुज्ञात करें ।
3. अद्यतन क्रियाकलाप पूरा किया गया - ड्रापडाउन (-सार्वजनिक घोषणा जारी की गई - सी.ओ.सी. के गठन को प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट फाइल की गई - सूचना ज्ञापन सी.ओ.सी. को प्रस्तुत किया गया - रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई - आर.एफ.आर.पी., जिसके अंतर्गत मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन भी है, जारी किया गया - समाधान योजना सी.ओ.सी. को प्रस्तुत की गई - समाधान योजना सी.ओ.सी. द्वारा अनुमोदित की गई - समाधान योजना एन.सी.एल.टी. को प्रस्तुत की गई -समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन एन.सी.एल.टी. को प्रस्तुत किया गया - प्रत्याहरण/बंदोबस्त के लिए आवेदन एन.सी.एल.टी. को प्रस्तुत किया गया -पूर्ववर्ती प्ररूपों में भरे गए क्रियाकलापों का डाटा दर्शाएं और समस्त क्रियाकलापों के लिए अनेक प्रविष्टियां अनुज्ञात करें ।
4. क्या सी.ओ.सी. की बैठक की कालिकता विनियमों के अनुसार है? हां/नहीं, यदि नहीं तो कारणों का कथन करें ।
5. मास के दौरान आयोजित सी.ओ.सी. की बैठक की बैठक सं. और तारीख
6. क्या मास के दौरान सी.ओ.सी. के गठन में परिवर्तन किया गया? हां/नहीं, यदि हां, तो अद्यतन करने के लिए नीचे दी गई सारणी प्रदर्शित की जाए

क्रम सं.	लेनदार का नाम/वर्ग	मतदान प्रतिशत	स्वीकृत दावे की रकम (रूपयों में)	प्रवर्ग (ड्रापडाउन)
यह सारणी सी.पी.1 या अंतिम मासिक प्ररूप(जो भी पश्चात्वर्ती हो) में से स्वचालित रूप से भरी जानी है				
कुल				

6. लागत प्रकटन (आई.पी. द्वारा प्रत्येक मास संचयी आंकड़ों को अद्यतन किया जाना है) = कुल सी.आर.आर.पी. लागत (क= ख+ग)
प्रक्रिया संबंधित लागत (ख)
चालू समुत्थान संबंधित लागत (ग)
7. प्रक्रिया में गतिविधि के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हैं

घोषणा

मुझे, (आइ.आर.पी./आर.पी. का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (रजिस्ट्रीकरण सं.) है, आवेदन संख्यांक (आवेदन सं. का उल्लेख करें) में एन.सी.एल.टी. के आदेश, तारीख (तारीख का उल्लेख करें) के आदेश द्वारा तारीख (आर.पी. की नियुक्ति की तारीख का उल्लेख करें) को दिवाला और शोधन अक्षमता

संहिता, 2016 की धारा के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किया गया था/विनियम 17(3) के अधीन समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य कर रहा/रही हूं ।

मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है ।

∗आईपी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/ई-हस्ताक्षरित किया जाना है

∗आईपी रजिस्ट्रीकरण संख्या:

तारीख:

स्थान: